कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर (म0प्र0)

//आदेश//

कमांक 386 /दो–11–190/2012/लेखा. श्योपुर, दिनांक 27/11/2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र कमांक ए/4943/चार–3–1/65 (श्योपुर) जबलपुर, दिनांक 20.11.2025 के अनुकम में श्री भीमसेन श्रीवास का सेवा में रहते हुये दिनांक 18.05.2025 को आकस्मिक निधन हो जाने से माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के निर्देशानुसार श्रीमती आरती श्रीवास को अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति प्रदान किये जाने से श्रीमती आरती श्रीवास पत्नी स्वर्गीय श्री भीमसेन श्रीवास को भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) के पद वेतनमान 4440–7440+1300 ग्रेड–पे, पुनरीक्षित वेतनमान 15500–49000 (लेवल–1) में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन कमांक सी/461/चार–3–1/65 (गाइडलाईन) जबलपुर, दिनांक 10.02.2021 के अनुसार **03 वर्ष की परिवीक्षा पर पूर्णतः अस्थायी रूप** से मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश कमांक सी–3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 के अनुसार न्यूनतम वेतनमान का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होने तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिये जाने के निर्देश सहित निम्न शर्तों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

//सेवा शर्तें//

1. यह कि, आप शपथ लें कि आप विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगें।

2. यह कि, आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा मध्यप्रदेश की जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियम 2016 यथासंशोधित राजपत्र दिनांक 28.06.2019 के प्रावधान एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य के लोकसेवकों की सेवाएं विनियमित करने संबंधी समस्त नियम एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देश लागू होंगे।

3. यह कि, इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आपको पद्भार ग्रहण करना होगा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में आपका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

4. यह कि, कर्तव्य ग्रहण से 15 दिवस से अनाधिक अवधि अंदर मध्यप्रदेश के किसी भी जिला चिकित्सालय बोर्ड द्वारा प्रदत्त किया गया सेवा हेतु चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, शारीरिक परीक्षण में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

5. यह कि, आपको म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अधीन पद्भार ग्रहण करते समय निम्न आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(A) यह कि, मुझे किसी भी आपराधिक प्रकरण में कभी भी गिरफतार नही किया गया है या मेरे विरूद्व किसी भी न्यायालय/पुलिस थानें में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही होने, लंबित नहीं होने एवं किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा मुझे दोषसिद्ध नही ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।

(B) यह कि, आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नही किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।

(C) यह कि, मैनें अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जो भी जानकारिया दी हैं एवं जो भी दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही है। यदि जांच कराये जाने पर वे असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्व असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिये विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी, जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगी। इसके साथ ही यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो मेरी अनुकंपा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

(D) यह कि, मेरे 26 जनवरी, 2001 के पश्चात तीसरी संतान का जन्म नहीं हुआ है।

6. यह कि, आपके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये प्रमाण–पत्रों के तथ्यों को छुपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने पर या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर आपकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

7. यह कि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियत मापदण्डों के अंतर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, शैक्षाणिक योग्यता प्रमाणपत्र का सत्यापन कराये जाने पर त्रुटि पाये जाने की स्थिति में सेवा समाप्त कर दी जावेगी एवं विधि अनुसार अन्य कार्यवाही भी की जावेगी, जहां आवश्यक हो आपके स्वयं के व्यय पर सत्यापन कराया जावेगा।

8. यह कि, आपकी नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगी। मध्यप्रदेश मूलभूत नियम के प्रावधान अनुसार आप 24 घण्टे शासकीय सेवक है एवं नियमित शासकीय सेवा के समय के अतिरिक्त अपरिहार्य परिस्थितियों में कभी भी किसी भी समय शासकीय कार्य हेतु सेवांए ली जा सकेंगी।

9. यह कि, आप पर म.प्र. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा प्रसारित परिपत्र कमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

10. यह कि, आप कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नही करेंगी और ना ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगी तथा स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की आपको अनुमति नही होगी अन्यथा आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

11. यह कि, आपको किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व इस कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यथा आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

12. यह कि, यदि आप सेवा से पृथक होना चाहेंगी, तो आपको एक माह पूर्व इस कार्यालय में उसकी सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी। आपके द्वारा उक्त राशि जमा न करने की स्थिति में उसकी वसूली राजस्व की बकाया राशि की भांति की जावेगी।

13. यह कि, आपका अंतरमण्डलीय स्थानातरंण 3 वर्ष तक प्रतिबंधित रहेगा, परंतु माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा प्रशासनिक आधार पर अंतरमण्डलीय स्थानातरंण कभी भी किया जा सकेगा।

14. यह कि, आपको लिखित रूप मे यह अभिस्वीकृति पदभार ग्रहण करते समय इस कार्यालय मे देनी होगी कि उपर्युक्त समस्त शर्तें आपको मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे आपको मान्य होगें।

15. यह कि, पदभार ग्रहण करते समय आपको पदभार ग्रहण प्रतिवेदन दो प्रति में अपने स्वयं के वर्तमान पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर प्रस्तुत करना होगा तथा पदभार ग्रहण करने के उपरांत सेवा पुस्तिका दो प्रति मे एवं सी.पी.एफ. पासबुक, बैक खाता पास बुक की छायाप्रति कार्यालय में अनिवार्य रूप से 15 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।

16. यह कि, आप पूर्व अवकाश स्वीकृति के बिना, अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगी तथा स्वीकृत अवकाश से अधिक उपभोग करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

17. यह कि, नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि आप चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पायी जाती है, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

(कपिल मेहता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्योपुर (म0प्र0)

पृष्ठा. कमांक 2829 /दो–11–190/2012/लेखा. श्योपुर, दिनांक 27/11/2025
प्रतिलिपिः–

01. जिला कोषालय अधिकारी, श्योपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02. लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कर्मचारी की पदभार ग्रहण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी प्रविष्टी उनकी सेवा पुस्तिका में की जावे एवं उनके वेतन आहरण के संबंध में एम्प्लाई कोड एवं प्रान नंबर प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कर कार्यवाही 15 दिवस में सम्पादित करें।

03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, श्योपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

04. निज सहायक, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर

05. वेतन लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर

06. श्रीमती आरती श्रीवास पत्नी स्वर्गीय श्री भीमसेन श्रीवास, निवासी वार्ड नंबर 9 शिवनगर, रेलवे कॉसिंग के पास(Biology Clases by Lokendra Sir), श्योपुर मध्यप्रदेश, पिन 476337

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/11/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्योपुर (म0प्र0)